


# न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... बनावत .....  
 किस्म मुकदमा ..... 225/178 ..... मु. नं० ..... 37 वर्ष 2020 .....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23-9-20	<p>अपील दर्ज रजिस्टर हो। धारा 5 पर निर्णय सुरक्षित रखा जाता है। स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा वर्तमान उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या पुराना 233/2009 वर्तमान 111/2014 बउनवानी महावीर प्रसाद बनाम देसराज आदि में निर्णय दिनांक 21.09.2012 को एक पक्षीय रूप से खसरा नम्बर 480,481,483 मौजा वाके ग्राम सुरजगढ़ के सन्दर्भ में मौके रिकार्ड की यथास्थिति एवं रहनबय आदि नही करने की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। यह आदेश 21.09.2012 से दिनांक 13.10.2020 तक यथावत रहना आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है। दिनांक 21.09.2012 के उपरान्त 58 तारीख पेशीयां दी जा चुकी है एवं लगभग 08 साल का समय व्यतित हो चुका है। ऐसी स्थिति में आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन पाया जाता है यहां आदेशिका एवं प्रार्थीगण की आवेदन के अवलोकन से जाहिर होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा एक पक्षीय स्थगन जारी करने के उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के अन्तिम निस्तारण में कोई रूची नही ली गई है। फलतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर स्वीकार योग्य पाई जाती है। अत अपील अपीलांट इसी स्तर पर स्वीकार कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा वर्तमान उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या पुराना 233/2009 वर्तमान 111/2014 बउनवानी महावीर प्रसाद बनाम देसराज आदि में निर्णय दिनांक 21.09.2012 को एक पक्षीय रूप से खसरा नम्बर 480,481,483 मौजा वाके ग्राम सुरजगढ़ के सन्दर्भ में मौके रिकार्ड की यथास्थिति एवं रहनबय आदि नही करने की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त (खारिज) किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों की पालना में आगामी दो माह में उभयपक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण करें। अहलमद निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">               (राजवीर सिंह चौधरी)              भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं              पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,              सीकर         </p>	